राशन व्यवस्था

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों की बढती मांग के अनुरूप भारत सरकार ने सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 सितम्बर 2013 को खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया। इस कानून से करोडों लोगों को खाद्य सुरक्षा का हक मिला है। अब जरूरतमंद नागरिकों को राशन दुकान से राशन पाने का हक है, साथ ही सरकारी स्कूल व आंगनवाड़ी में बच्चों को गरम पका भोजन व 3 साल से छोटे बच्चों को घर में राशन देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत गर्भवती व धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ भी दिये जाने की बात कही गयी है। पर कानून बन जाना तो एक बात है, इसे बेहतरी से लागू करना बड़ी चुनौती है। हमें इस कानून को सभी गांव व क्षेत्रों में मिलकर ठीक ढंग से लागू करना होगा एवं इसकी निरंतर देखरेख भी करना होगी यानी हमें इस कानून के तहत मिले हकों की निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन मिलकर करना जरुरी है।

मुख्य प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा गया है कि- ''खाद्य सुरक्षा कानून मानव जीवन चक्र पर आधारित है। इसका उद्देश्य लोगों को जीवन जीने के लिए उस कीमत पर, जो उनके सामर्थ्य में हो, पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन व पोषण सुरक्षा देना है, ताकि लोग सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन-यापन कर सकें।''

हकदारियां – राशन व्यवस्था

1. राशन दुकान से अनाज

क. प्राथमिकता वाले परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने सस्ती कीमत (चावल 3 रु. किलो, गेहूं 2 रु. किलो, बारीक अनाज 1 रु. किलो) पर 5 किलो अनाज राशन दुकान

से उपलब्ध कराया जायेगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चावल, गेहूं एवं बारीक अनाज 1 रु किलो ही दिया जायेगा।

ख. यदि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 25 किलो राशन मिलेगा और यदि 8 सदस्य हैं तो 40 किलो राशन मिलेगा।

ग. अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह इसी दर पर उपलब्ध होगा।

घ. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनने वाले राशन कार्ड या सूची में परिवार की मुखिया के रूप में उन सबसे वरिष्ठ महिला का नाम होगा, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है।

कौन हैं प्राथमिक श्रेणी के परिवार?

1. मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक। 2. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चे। 3. गांवों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर। 4. शहरों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति। 5. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं। 6. रेलवे के पंजीकृत कुली। 7. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (उन्हीं पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं)। 8. समस्त भूमिहीन कोटवार- (वे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों)। 9. नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी। एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से योजना का लाभ लेना चाहते हों)। 10. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही। 11. निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन। 12. ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी। 13. मत्स्य पालन के लिए बनी मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य और उनके परिवार। 14. वे परिवार, जिनकी 50% फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गयी हो। 15. शहरी क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति। 16. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)। 17. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी। 18. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक। 19. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी। 20. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति। 21. सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत मत्स्य पालन करने वाले (मछुआरे) परिवार/सदस्य। 22. समस्त बीपीएल सूची में शामिल परिवार। 23. समस्त अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार। 24. मध्यप्रदेश में निवासरत आयकर न देने वाले समस्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। 25. आयकर भुगतान न करने वाले चालक / परिचालक;

बच्चों का पोषण का अधिकार

आईसीडीएस

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी में गरम पका भोजन और 6 माह से 3 साल से छोटे बच्चों को घर में राशन देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत गर्भवती व धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ भी दिये जाने की बात कही गयी है। पर कानून बन जाना तो एक बात है, इसे बेहतरी से लागू करना बड़ी चुनौती है। हमें इस कानून को सभी गांव व क्षेत्रों में मिलकर ठीक ढंग से लागू करना होगा एवं इसकी निरंतर देखरेख भी करना होगी यानी हमें इस कानून के तहत मिले हकों की निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन मिलकर करना जरुरी है।

हकदारियां – बच्चों का पोषण का हक (एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम)

क. हर गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक आंगनवाड़ी से घर ले जाने के लिए 600 कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।

ख. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने के लिए 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।

ग. 3-6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन दिया जायेगा।

घ. आंगनबाड़ी द्वारा संबंधित क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की पहचान की जायेगी।

ङ. कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिए 800 कैलोरी व 20-25 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।

च. प्रत्येक आंगनवाड़ी में रसोईघर की सुविधा होगी और पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय उपलब्ध करवाया जायेगा।

पोषण आहार यानी क्या?

एक - 06 माह से 03 वर्ष बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं और किशोरियों के लिए भोजन/पोषण आहार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन समूहों को पैकेट बंद पोषण आहार हर सप्ताह दिए जाने की व्यवस्था है.

क्रं.	पोषण आहार का प्रकार	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
1	2	3	4	5	6
1	गेहूं सोया बर्फ़ी (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताऐं/किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	18.47	631.80
2	आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताऐं/किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	18.14	626.93
3	हलुआ (प्रिमिक्स)	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.28	503.04
4	बाल आहार (प्रिमिक्स)	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	14.61	500.11
5	खिचड़ी	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	20.44	500.75
		गर्भवती/धात्री माताऐं/किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	24.53	600.90

दो - 03 वर्ष 06 वर्ष तक के बच्चे बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं और किशोरियों के लिए भोजन/पोषण आहार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र 03 वर्ष 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का अलग अलग नीचे लिखे मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है -

दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	प्रोटिन (ग्राम)	कैलोरी
	व्यंजन	सामग्री		
सोमवार	पौष्टिक खिचड़ी	रोटी-सब्जी-तुअर दाल	12.15	500
मंगलवार	थुली (मीठी नमकीन)	खीर-पुडी-मूँगबड़ी-आलू टमाटर सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी-चने की दाल-मिक्स सब्जी		
गुरुवार	मीठी लाप्सी	चावल पुलाव-पकोड़े वाली कढ़ी		
शुक्रवार	थुली (मीठी नमकीन)	रोटी-मूँगदाल-हरे या सूखे मटर की सब्जी		
शनिवार	पौष्टिक खिचडी	पराठा-मौसम की हरी सब्जी-मिक्स दाल		

अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं

क. आंगनवाड़ी में 6 साल तक के हर बच्चे का वज़न लिया जाएगा, ताकि उसे कुपोषण से बचाया जा सके।

ख. अति कुपोषित बच्चों की पहचान करके, उन्हें अतिरिक्त पोषण आहार दिया जाना है।

ग. हर आंगनवाड़ी केंद्र में भोजन पकाने की सुरक्षित व्यवस्था, पीने के साफ़ पानी और स्वच्छता की व्यवस्था होना चाहिए।

मध्यान्ह भोजन

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में कक्षा 8 तक के बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाएगा। यह उन सभी बच्चों का अधिकार है।

कानून बन जाना तो एक बात है, इसे बेहतरी से लागू करना बड़ी चुनौती है। हमें इस कानून को सभी गांव व क्षेत्रों में मिलकर ठीक ढंग से लागू करना होगा एवं इसकी निरंतर देखरेख भी करना होगी यानी हमें इस कानून के तहत मिले हकों की निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन मिलकर करना जरुरी है।

स्कूलों में मध्यान्ह भोजन

क. सभी सरकारी/स्थानीय निकायों/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन, कक्षा 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त गर्म पका भोजन स्कूल में छुट्टी के दिनों को छोड़कर हर रोज मुफ्त दिया जायेगा।

ख. प्रत्येक स्कूल में रसोईघर, पीने का साफ पानी, शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा।

ग. जरूरत पड़ने पर शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के मापदंडों पर केन्द्रीयकृत रसोई से मध्यान्ह भोजन दिया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन में क्या क्या शामिल है?	
दिन	भोजन की थाली
सोमवार	रोटी/चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने और टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंग्बदी और आलू-टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी/चावल के साथ चने की दाल और मिली-जुली/मिश्रित सब्जी
गुरुवार	सब्जीयुक्त पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी
शुक्रवार	रोटी या चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी

शनिवार	पराठा/पुलाव के साथ मिश्रित दाल और हरी सब्जी

महत्वपूर्ण बातें

1. यूँ तो स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ लग जाने पर मध्यान्ह भोजन भी बंद हो जाता है, लेकिन क़ानून कहता है कि जिस क्षेत्र में सूखा घोषित होगा, वहां के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन चालू रहेगा।
2. मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत बच्चों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन दूध पाउडर से दूध बना कर दिया जाता है।

प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना / मातृत्व लाभ

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कहा गया है कि –

> गर्भवती/धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ के रूप में हर गर्भवती/धात्री महिला को कम से कम 6000 रु. का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी योजना के तहत दिया जायेगा।

कानून बन जाना तो एक बात है, इसे बेहतरी से लागू करना बड़ी चुनौती है। हमें इस कानून को सभी गांव व क्षेत्रों में मिलकर ठीक ढंग से लागू करना होगा एवं इसकी निरंतर देखरेख भी करना होगी यानी हमें इस कानून के तहत मिले हकों की निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन मिलकर करना जरुरी है।

प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना – मातृत्व हक

क्र	किश्त	शर्तें	राशि	सत्यापन स्रोत
1	प्रथम किश्त	गर्भावस्था के शीघ्र पंजीयन करने पर (के 150 दिन के अन्दर)	1000.00	एम सी पी कार्ड – ए एन एम्/ए ओ द्वारा प्रमाणित
2	दितीय किश्त	गर्भावस्था के 6 माह तक न्यूनतम 1 प्रसवपूर्व जांच कराने पर (के 180 दिवस के पश्चात्)	2000.00	एम सी पी कार्ड – ए एन एम्/ए ओ द्वारा प्रमाणित
3	तृतीय किश्त	नवजात शिशु के जन्म उपरांत पंजीयन कराने पर शिशु को , , 1,2,3, का निर्धारित समयसीमा में टीकाकृत कराने पर	2000.00	शिशु के जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति एम सी पी कार्ड – ए एन एम्/ए ओ द्वारा प्रमाणित
	कुल		5000.00	
संस्थागत् प्रसव के बाद मातृत्व लाभ के मान्य नियमों के अनुरूप 1000/रु की राशि दी जाएगी। इस तरह कुल रु 6000 की राशि दी जाएगी				

शिकायत निवारण व्यवस्था

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा। वे शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत का निराकरण करेंगे। यदि शिकायतकर्ता निर्णय से असंतुष्ट तो 30 दिन के भीतर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है

निगरानी व्यवस्था – सतर्कता समितियां

कानून बन जाने व लागू हो जाने से खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने में मदद मिलेगी पर इसे निरंतर रूप से पूरी गुणवत्ता के साथ बनाये रखना एक बड़ी चुनौती है। अतः क़ानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है, ताकि गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके और लोगों खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

राज्य सतर्कता समिति

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि राज्य स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुविधाओं व सेवाओं की देखरेख हो सके।

जिला सतर्कता समिति

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिला स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि राज्य स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुविधाओं व सेवाओं की देखरेख हो सके।

विकासखंड सतर्कता समिति

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए जनपद स्तर पर सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि जनपद स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुविधाओं व सेवाओं की देखरेख हो सके।

उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति

उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर एक समिति होगी। समिति सदस्यों का चयन ग्रामसभा में होगा यानि सदस्यों के नामों हेतु ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जायेगा व अनुमोदन लेना होगा। सदस्यता पांच साल के लिए होगी। सदस्यों को पहले से सूचना देकर हर महीने समिति की बैठक होगी। चयनित सदस्यों की सूची, ग्राम सभा के अनुमोदन, सरपंच द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों के पत्र, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आदि के साथ सदस्य सचिव द्वारा इसे सहायक आपूर्ति अधिकारी को भेजा जायेगा। इन समितियों में निम्न सदस्य होंगे –

उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति का गठन

व्यक्ति	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र
अध्यक्ष	ग्राम पंचायत सरपंच – जहाँ उचित मूल्य की दुकान संचालित है	उस वार्ड के पार्षद, जहाँ दुकान है।
सह-अध्यक्ष	यदि दुकान से दो पंचायतों के लोगों को राशन मिलता है, तो दूसरी पंचायत के सरपंच समिति के सह-अध्यक्ष होंगे।	यदि दुकान एक से ज्यादा वार्ड कवर करती है, तो दूसरे वार्ड के पार्षद समिति के सह-अध्यक्ष होंगे।
सदस्य	अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त श्रेणी, अन्त्योदय के हितग्राही के एक-एक और प्राथमिक श्रेणी के 4 हितग्राही यानी कुल 8 हितग्राही होंगे, जिनमें से 4 महिलायें होंगी। इसके अलावा सरपंच द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि होंगें।	अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त श्रेणी के एक बीपीएल राशनकार्ड धारी, अन्त्योदय के एक हितग्राही और प्राथमिक श्रेणी के 4 सदस्य यानी कुल 8 हितग्राही होंगे, जिनमें से 4 महिलायें (50 प्रतिशत) होंगी इसके अलावा वार्ड पार्षद द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि होंगें।
सचिव	सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव	वार्ड का प्राधिकृत अधिकारी

सतर्कता समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारी

- राज्य शासन द्वारा जैसे ही आवंटन आदेश जारी होता है स्वतः एसएमएस द्वारा जानकारी समिति सदस्यों को पहुँच जायेगी।
- मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा खाद्यान्न भेजने के लिए वाहन रवाना होते ही खाद्यान्न की मात्रा एवं वाहन नंबर समिति सदस्यों को भेजी जायेगी।
- आंगनवाड़ी द्वारा टेकहोम राशन तथा पोषण आहार दिये जाने वाले आवंटन की जानकारी समिति सदस्य व सचिव को दी जायेगी।

समिति के कार्य

- खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शामिल योजनाओं का नियमित निगरानी। यह देखना कि पात्रों को लाभ मिले और कोई वंचित न रहे।
- अधिनियम के क्रियान्वयन में अनिमितताओं के सम्बन्ध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- ये समितियां योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगी और यदि ये समिति पाती है की कहीं क़ानून के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या गबन की जानकारी मिलती है तो शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेंगी।

राज्य खाद्य आयोग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बनायी गयी व्यवस्था की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। इसका पता है – राज्य खाद्य आयोग,

अपर बेसमेंट, बी बिंग, सतपुड़ा भवन भोपाल (मध्यप्रदेश)

सामाजिक संपरीक्षा

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

सामाजिक संपरीक्षा क्या है ?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून का मूल मकसद समाज में भुखमरी और खाद्य सुरक्षा की स्थिति को बदलना है। इस क़ानून के लागू होने से यह स्थिति बदली या नहीं और यदि बदली तो कितनी; इन सवालों का जवाब तो समाज ही दे सकता है। इसीलिए सामाजिक संपरीक्षा का मतलब है कि समाज और हितग्राही खुद योजना / कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसके परिणामों को जांचे। वास्तव में इससे सरकार या कार्यक्रम लागू करने वाली संस्था की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। सामाजिक संपरीक्षा वास्तव में संबंधित योजना से सही और पूर्ण लाभ हासिल करने हेतु माहौल बनाने का एक बुनियादी उपाय है।

सामाजिक संपरीक्षा का मतलब है कि यह जांचा जाना कि शासकीय योजनाओं के तहत जो हक और लाभ दिए जाने का प्रावधान है, वे सभी पात्र लोगों को मिल रहे हैं या नहीं ? योजना के क्रियान्वयन के लिए जो व्यवस्थाएं बनना चाहिए, वे बनी हैं या नहीं? कहीं कोई पात्र व्यक्ति बुनियादी हक से वंचित तो नहीं है? इससे यह भी समझ आता है कि यदि कहीं कोई दिक्कत है, तो वह योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी हुई है या कहीं नीति में बदलाव की भी जरूरत है.

सामाजिक संकेक्षण दरअसल एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है, जिसमें सरकार और समाज मिल कर योजना निगरानी करते हैं और कोशिश करते हैं कि तय लक्ष्य हासिल हों। यह वंचित तबकों के सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम भी है।

कानून में है सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 के तहत शामिल सभी योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा किए जाने का प्रावधान है. इसमें उल्लेख है कि –

1. सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से निगरानी और उसका मूल्यांकन करती है। - अध्याय 1 (धारा 20)
2. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा।

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में 5 केंद्रीय बातें

1. क़ानून के मुताबिक लोगों के हक क्या हैं?

2. क्या उन्हें उन हकों के बारे में जानकारी दी गयी?
3. क्या सभी पात्र हकदारों को योजना में शामिल किया गया?
4. सबसे वंचित (जाति, लिंग, आजीविका के साधनों, गरीबी या कोई अन्य कारण) लोगों को खाद्य सुरक्षा हक दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए?
5. कोई समस्या या शिकायत होने पर लोग उसे दर्ज कर पाए, क्या यह बताया जा सका कि कहां शिकायत करना है? शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? क्या निराकरण हुआ? कितने दिन में हुआ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

सामाजिक संपरीक्षा के चरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए व्यापक रूप से छह चरण होंगे –

1. सब इस बात से सहमत हों कि क़ानून और योजना के बेहतर क्रियान्वयन और समाज को वास्तविक हक प्रदान करने के लिए सामाजिक संपरीक्षा एक सकारात्मक पहल है।
2. ग्राम सभा में वर्ष में एक बार सामाजिक संपरीक्षा जरूर होना चाहिए।
3. ग्राम सभा, खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत बनी सतर्कता समिति और समुदाय को सामाजिक संपरीक्षा के लिए पहल करना होगी।
4. यह महज़ औपचारिकता पूरी करने वाली या सरकार केंद्रित प्रक्रिया नहीं है।
5. कम से कम 15 दिन पहले सम्बंधित विभाग से जरूरी दस्तावेज प्राप्त करना। इसके लिए हर पंचायत के स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा कार्यकर्त्ता / समिति का गठन होना चाहिए।
6. सामाजिक संपरीक्षा के लिए समुदाय के स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए तैयार एक समूह (जिसमे हकधारक, महिलाएं, अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल हों) होना।
7. अंकेक्षण का प्रारूप और जानकारियां इकठ्ठा करना (जानकारियों के स्रोतों, दस्तावेजों, व्यक्तियों के बारे में स्पष्टता होना कि सूचना कहां से मिलेगी/कुछ सूचनाओं की उपयोग पूर्व जांच करना/प्रमाण सहित विस्तृत जानकारियां – हकधारकों, परिवारों, समुदाय, क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं के बारे में; इकठ्ठा करना)
8. प्रमाण आधारित जानकारियों/प्रमाणित जानकारियों पर संवाद और उसका विश्लेषण – जो जानकारियां इकठ्ठा हुई हैं, उनका विश्लेषण करना, और जो निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, उन्हें वापस समुदाय/सम्बंधित परिवारों के बीच ले जाना और उन्हें विस्तार से बताना। इस प्रक्रिया में क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों/संस्था के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना होगा। सामाजिक संपरीक्षा में उस पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जो क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
9. जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए निष्कर्षों को प्रमाण सहित सार्वजनिक करना और जरूरी कार्यवाही करना। हर गांव / बस्ती के सामाजिक संपरीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही

करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों / सतर्कता समिति / जिला शिकायत अधिकारी की उपस्थिति में बैठक करना। इन निष्कर्षों को मीडिया में भी जारी किया जाना चाहिए। फालो-अप करना कि कार्यवाही क्या हुई?

योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा के प्रमुख बिंदु

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामाजिक संपरीक्षा

क़ानून / योजना /कार्यक्रम में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबधित जो प्रावधान किए गए हैं, क्या वे हक पात्र व्यक्ति को मिल रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों?

- किन लोगों को लाभ मिल रहा है? कितना लाभ मिल रहा है? क्या क़ानून के मुताबिक लाभ मिल रहा है?
- कहीं कोई व्यक्ति राशन व अन्य सामग्री से वंचित तो नहीं है? यदि हाँ तो कौन और क्यों?
- राशन व उचित मूल्य दुकान से मिलने वाली अन्य सामग्री के लिए जो हक तय हैं क्या उनमें गुणवत्ता के मानकों का पालन हो रहा है?
- यदि किसी व्यक्ति ने अपना नाम जुडवाने के लिए आवेदन किया है, तो उसका निराकरण हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो क्यों नहीं?
- हक/लाभ पाने या लाभ दिए जाने में कोई भेदभाव तो नहीं है?
- अपात्रों को लाभ तो नहीं मिल रहा है?
- योजना/कार्यक्रम के लिए जो जरूरी ढांचा, व्यवस्था, प्रशिक्षण और अधोसंरचना चाहिए, वह उपलब्ध है?
- योजना के तहत बनायी गयी निगरानी व निरीक्षण की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, मसलन क्या सतर्कता समिति बनी? उसके सदस्यों को समिति के कामों के बारे में जानकारी है?
- राशन केंद्र को विगत माहों में कितना राशन मिला, कितना वितरित हुआ?

एकीकृत बाल विकास योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- क्या सभी पात्र बच्चे योजना में दर्ज हैं? क्या सभी को लाभ मिल रहा है?
- 6 साल से कम उम्र के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे एवं ऐसे बच्चों की संख्या जो दर्ज होने से छूट गए हैं।
- आंगनवाड़ी का नियमित संचालन हो रहा है।
- आंगनवाड़ी में 3-6 साल उम्र के बच्चों को गर्म पका भोजन एवं 3 साल से कम उम्र के बच्चों को टेक होम राशन की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता।
- 6 साल से कम उम्र के बच्चों की वृद्धि निगरानी एवं कुपोषण की पहचान।
- आंगनवाड़ी में पीने का पानी एवं स्वच्छता की स्थिति।

- स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु आंगनवाड़ी द्वारा किए गए प्रयास की स्थिति।
- विगत माहों में आंगनवाड़ी केंद्र को कितना पोषण आहार मिला और कितना वितरित हुआ?

मध्यान्ह भोजन योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- स्कूल में बच्चों की उपस्थिति एवं भोजन का वितरण यानि कितने बच्चों को भोजन दिया गया।
- भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता; बच्चों की रूचि।
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व-सहायता समूह का रिकार्ड – कितनी सामग्री मिली और कितनी उपयोग में लायी गई ?
- समानता और भेदभाव की स्थिति।

मातृत्व हक (प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना) की सामाजिक संपरीक्षा

- योजना के तहत पंजीकृत गर्भवती व धात्री माताओं की संख्या – क्या कोई वंचित तो नहीं है ?
- क्या गाँव में सभी पात्र महिलायें पंजीकृत हैं? क्या उन्हें निर्धारित किश्तें हासिल हुईं?
- प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् जांचों की संख्या – क्या सभी दर्ज माताओं की जांच हो रही है?
- संस्थागत प्रसव एवं प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता?
- नवजात शिशु की देखभाल सेवाओं एवं टीकाकारण की स्थिति?
- किसी भी तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है?

याद रखिए

- सामाजिक संपरीक्षा समुदाय और हितग्राहियों द्वारा की जाने वाली पहल है।
- इसमें हर बिंदु की लोगों के सामने प्रमाणों के आधार पर पड़ताल होती है।
- योजना लागू करने वाले विभागों की यह जिम्मेदारी है कि वे सम्बंधित जानकारियां और दस्तावेज समुदाय/हितग्राहियों/सामाजिक संपरीक्षा समूह को उपलब्ध करवाएं।
- सामाजिक संपरीक्षा हर साल होना चाहिए।
- सामाजिक संपरीक्षा में उभर कर आए हर बिंदु/शिकायत का तय समय सीमा में निराकरण होना ही चाहिए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपके लिए है,

इसके अच्छे क्रियान्वयन के लिए

सामाजिक संपरीक्षा की जिम्मेदारी लीजिए!